रियायती शुल्क दर के भुगतान से और जड़ित आभूषणों के संबंध में 5% के शुल्क पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बिक्री करने की अनुमति दी गई है; (ii) केवल आभूषण उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल योजना (ईपीसीजी) के अधीन शून्य शुल्क आयात के लिए आरंभिक सीमा को पूर्ववर्ती 20 करोड़ रु० के स्तर को घटाकर केवल 1 करोड़ रु० कर दी गई है, (iii) मूल्यवर्द्धन और रद्दी संबंधी मानकों का युक्तीकरण (iv) प्लैटिनम/चांदी आभूषणों को भी पुनः पूर्ति लाइसेंस योजना के तहत ला दिया गया है (v) निर्यात संवर्द्धन दौरों के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर तक के आभूषणों के नमूने निजी तौर पर ले जाने की अनुमति (vi) विदेशी बाजार में प्रदर्शनी/बिक्री के लिए बान्डेड आभूषणों के निर्यात की स्वीकृति बशर्ते कि अगर ईसे 180 दिनों में नहीं बेचा जाता है तो उसके 45 दिनों की भीतर वापस कर दिया जाए। (vii) निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के एककों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) एककों से सोना/चांदी प्लैटिनम के बदले उप-संविदा आधार पर मशीन से निर्मित सोना/चांदी/प्लैटिनम आभूषण लेने की अनुमति दी गई है। (viii) एग्जिम नीति के प्रावधान के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू उपयोग और निर्यात दोनों के लिए सोना/चांदी/प्लैटिनम के आयात और आपूर्ति के लिए 13 बैंकों को प्राधिकृत किया है। इससे आभूषण निर्यातकों की कीमती धातुओं की उपलब्धता और आपूर्ति में पर्याप्त सुधार हो गया है। (ix) भारत सरकार द्वारा की गई पहल के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों के जरिए आभूषण निर्यातकों को सर्राफा की आपूर्ति पर से बिक्री कर को हटा लिया है और अधिकांश दूसरे राज्य सरकारों ने सरकार द्वारा नामित अभिकरणों/आरबीआई द्वारा प्राधिकृत बैंकों द्वारा निर्यातकों को सर्राफा की आपूर्ति पर वसूले जा रहे बिक्री कर की दर को काफी घटा दिया है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के लिए आभूषणों के निर्यात के लक्ष्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Imact of Indo-Sri Lanka Accord

628. SHRI N. R. DASARI:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the concern expressed bo by some sections in Kerala over the adverse effect of the Indio-Sri Lankan free trade agreement on the country in general and Kerala, in particular; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) Yes, Sir.

(b) The Govet. of Kerala has written to the Central Govt. stating that provision of tariff concessions under the Indo-Sri Lankan Free Trade Agreement on agricultural items like coconuts and coconut products, natural rubber, tea and spices would adversely affect the interests of farmer in kerala. Similar representations have also been received from other quarters in Kerala.

The concerns expressed are being given due consideration while finalising the lists of items on which tariff concessions are to be provided.

निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन

629. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्यातकों और आयातकों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों की घोषणा कब की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन घोषणाओं के कारण सरकार द्वारा अनुमानतः कुल कितनी धनराशि का भार वहन किए जाने का अनुमान है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) निर्यात नीति की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। निर्यात आयात नीति से संशोधनों की घोषणा 13 अप्रैल, 98 को की गई थी। बाद में निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा 5 अगस्त, 98

की की गई थी। चालू वर्ष के दौरान किए गए नीतिगत कुछ उपाय निम्नलिखित है:—

(i) निर्यात ऋण पर ब्याज की दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई है। यह दर 31.3.99 तक जारी रहेगी।

(ii) शुल्क हकदारी पास बुक (डी ई पी बी) दर का परिकलन करने के उद्देश्य से विशेष सीमा शुल्क के तत्व को शामिल करने हेतु शुल्क हकदारी पास बुक योजना से संशोधन किए गए हैं।

(iii) एक करोड़ रु० के अथवा इससे अधिक निर्यात कारोबार वाले विनिर्माता निर्यातक के मामले में अग्रिम लाइसेंस अथवा ईपीसीजी लाइसेंस पर बैंक गारंटी के स्थान पर एक कानूनी वचन-पत्र निष्पादित करने की सुविधा की अनुमति दी गई है।

(iv) सभी निर्यात संवर्धन योजनाओं में विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क की छूट दी गई है।

(v) निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना के तहत इलैक्ट्रानिक, खाद्य प्रसंस्करण, परिधान, चर्म निर्यात सामान, रत्न एवं आभूषण क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक सीमा 20 करोड़ रु० से घटाकर 1 करोड़ रु० और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में शून्य दर के आवेदन के लिए 10 लाख रुपए कर दी गई है। यह रियायत कतिपय विशिष्ट इंजीनियरिंग मदों के मामले में भी दी गई है।

(ग) सरकार ऐसे उपायों के लिए कोई धनराशि नहीं दी जाती है जो सुविधाओं अथवा निर्यातों की हकदारी के स्वरूप के होते हैं।

Use of Pesticides in Tea Production

630. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that European Tea Committee has undertaken a study on pesticides surveillance on tea for 1994—97 period of all producting countries;

(b) whether according to the above said study, it is a fact that there is a presence of unlimited and banned pesticides in all tea produced in India; and

(c) if so, when did Government know about it and what steps Government have taken to remove the anomaly?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No, Sir, As per sampling done by the ETC, only a few consignments of teas from India were detected to have the presence of chemical residue but within permissible levels. According to Indian laboratories, the claims of use of banned and unlimited chemicals in teas are not correct. Further the Indian Tea industry follows the PFA standards on tea quality aspects and resideue limits as accepted by many nations, The Tea Board and the Tea Industry including Tea Research Associations have propagated well documented Integrated Pest Management measures including training at the grass root level as a precautionary measure.

Simplification of Export Promotion Schemes

631. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are planning to simplify the procedure under export promotion schemes which will be valid during the next few years; and

(b) by what time the details will be finalized and announced?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) and (b) Yes, Sir. Review of the Exim Policy and procedure is an ongoing process. The revised edition of the Export Import Policy and Hand Book of Procedures incorporating the latest changes in the Exim Policy and procedure is expected to be notified at the commencement of the next financial year.